अनुसूची ''च''

(देखें नियम 37)

लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची कार्यालय में ।

परिवाद सं0..... वर्ष..... ।

.....**परिवादी**

बनाम

.....**लोक–सेवक**

सेवा में,

.....

.....

.....

आपको सूचित कया जाता है कि अधिनियम की धारा–10 (4) के अधीन लोकायुक्त ने परिवाद(शिकायत) का अनुसंधान करने से इन्कार कर दिया है या अनुसंधान करना छोड़ दिया है क्योंकि–

(क) परिवाद तुच्छ या तंग करने वला है अथवा सदभाव से नहीं किया गया है या

(ख) यथास्थिति अनुसंधान करने या अनुसंधान जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, या

(ग) परिवादी को अन्य अनुतोष (रिलिफ) उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवादी के लिए यह अधिक उचित होगा कि वह इसका अनुतोष लाभ लें ।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मुहर से दिया गया ।

तारीख.....

सचिव/उप–सचिव
लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची का
कार्यालय ।